


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/

दिनांक :/04/2017

—: आदेश :—

डा० राधेश्याम जांगीड, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दांता, सीकर को तुरन्त प्रभाव से निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाता है।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/ 117

दिनांक : 12/04/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जयपुर को माननीय मंत्री महोदय कार्यालय के पत्रांक 2231 दिनांक 12.04.17 के साथ संलग्न शिकायती पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न कर लेख है कि प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट मय आपकी टिप्पणी सहित अविलम्ब भिजवाते हुए उक्त प्रकरण में चिकित्सक के दोषी पाये जाने पर सीसीए नियमों के तहत आरोप पत्रादि तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करें।
(संलग्न:उपरोक्तानुसार)
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित।
6. संबंधित चिकित्सक।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित की ई-मेल आई.डी./विभाग की वैबसाइट पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।